राइट ढ प्रोटोकॉल

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

डी.के.एस.भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप
रायपुर–492001
Telephone : (Office) 0771 – 2236235, 4031555 Fax – 0771 - 2221151 Email cgec.cg@ nic.in

क्रमांक/एफ–54–6/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2017/2644 रायपुर, दिनांक 26 मई 2017

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

विषयः–नगर पंचायत लवन, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के अध्यक्ष को वापस बुलाये जाने के संबंध में निर्वाचन के लिए (समय अनुसूची) निर्वाचन कार्यक्रम।

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उप धारा–2 के अंतर्गत राज्य शासन से **नगर पंचायत लवन, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा** के अध्यक्ष को वापस बुलाने का संदर्भ प्राप्त हुआ। अतः इस अधिनियम की धारा 47 की उप धारा–3, सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 75–ग के अंतर्गत **नगर पंचायत लवन, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा** के अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश क्रमांक–एफ–54–6/तीन(दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2017/2645 दिनांक 26.5.2017 निर्वाचन कार्यक्रम विहित करता है। साथ ही, आयोग निर्देशित करता है कि इस कार्यक्रम के अनुसार नियम, 75–ग के अंतर्गत अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन की सूचना निर्धारित प्ररूप–25 में जारी की जाकर नियम 75–घ की अपेक्षानुसार प्रकाशन किया जाए। सुलभ संदर्भ हेतु नियम 75–घ का उद्धरण नीचे दी गई है।

"75–घ नियम 75–ग के अधीन सूचना के प्रकाशन की रीति – नियम 75 ग के अधीन सूचना, मतदान के लिए विहित की गई तारीख से कम से कम 20 दिन पूर्व सूचना की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों के सूचना फलक पर चिपकाकर प्रकाशित की जाएगीः–

(एक) जिला निर्वाचन अधिकारी –(नगरपालिका)

(दो) रिटर्निंग आफिसर (संबंधित नगरपालिका)

(तीन) संबंधित नगरपालिका, और रिटर्निंग आफिसर उक्त सूचना की एक प्रति संबंधित महापौर/अध्यक्ष को या उसके अभिकर्ता को प्रदान करेगा."

2. यह निर्वाचन **01 जनवरी 2017** की संदर्भ तारीख के आधार पर आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर कराये जायेंगे।

3. निर्वाचन की सूचना प्रकाशन के तत्काल बाद उसी दिन नियम–75–ड. के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी रिटर्निंग आफिसर द्वारा किया जाये। साथ ही, उसी दिन रिटर्निंग आफिसर द्वारा नियम, 75 – च के अनुसार प्रतीक चिन्ह विहित कर प्ररूप–26 में नियम 75 – छ की अपेक्षानुसार भी प्रकाशित किया जाये । निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन परिणाम की घोषणा नियम 75 – ज के अंतर्गत निर्धारित प्ररूप–27 में की जाकर इसकी सूचना तत्काल आयोग को दी जाए। सुलभ संदर्भ हेतु नियम 75–छ का उद्धरण नीचे दी गई है।

"75–छ नियम 75 च के अधीन प्ररूप 26 के प्रकाशन की रीति– प्ररूप 26, नियम 75–ग के अधीन निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही प्रकाशित किया जाएगा और ऐसा प्रकाशन निम्नलिखित कार्यालय के सूचना फलक पर सूचना चिपकाकर किया जायेगाः–

(एक) जिला निर्वाचन अधिकारी –(नगरपालिका)

(दो) रिटर्निंग आफिसर (संबंधित नगरपालिका)

(तीन) संबंधित नगरपालिका, और रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 26 की एक प्रति संबंधित महापौर/अध्यक्ष को या उसके अभिकर्ता को भी परिदान करेगा."

4. निर्वाचन के संचालन की समस्त कार्यवाही छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 एवं इनमें किये गये संशोधन (जिनका प्रकाशन दिनांक 13.04.2007 के असाधारण राजपत्र में किया गया है) और आयोग द्वारा जारी सुसंगत निर्देशों के अनुसार किया जाए। संशोधित नियमों एवं निर्देशों के सेट आपको अलग से प्रेषित किये जा चुके है।

5. उपरोक्त उल्लेखित निर्वाचनों के लिए मतदान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान मशीनों (ईलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) के माध्यम से कराया जावेगा। विकल्प सूची (प्ररूप–26) की एक प्रति अध्यक्ष को प्रदाय करने की पावती/अभिस्वीकृति आवश्यक रूप से प्राप्त कर अभिलेख में रखी जावे। अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन संदर्शिका के परिशिष्ट–सोलह पर विहित प्रतीकों का नमूना दिया गया है। तद्नुसार रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन प्रतीक आवंटित करेगा।

6. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही **नगर पंचायत लवन, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा** के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।

7. इस पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृति आयोग को आज ही फैक्स द्वारा भेजी जाए।

संलग्नः–परिशिष्ट

सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर

D:\Vapash-bulana\Samay Anusuchi 2017.docx

परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
डी.के.एस.भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप
रायपुर–492001

Telephone : (Office) 0771 – 2236235, 4031555 Fax – 0771 - 2221151 Email cgec.cg@ nic.in

//आदेश//

रायपुर दिनांक 26 मई 2017

क्रमांक–एफ–54–6/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2017/2645 भारत का संविधान के अनुच्छेद 243यक सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम–1994 के नियम 11–क एवं नियम 75–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 (2) के तहत राज्य शासन से प्राप्त सूचना के आधार पर तथा धारा 47 (3) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 75–ग की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा नगर पंचायत लवन जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन हेतु समय–अनुसूची (निर्वाचन–कार्यक्रम) निम्नानुसार विहित करता है:–

निर्वाचन कार्यक्रम

क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
1	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	75–ग	**29.05.2017**	**सोमवार**	प्रातः10:30 बजे
2	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	75–ड.	**29.05.2017**	**सोमवार**	प्रातः10:30 बजे
3	प्रतीकों का आवंटन	75–च	**29.05.2017**	**सोमवार**	प्रातः10:30 बजे से
4	मतदान	75–ग(एक)	**18.06.2017**	**रविवार**	प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक
5	मतगणना और निर्वाचन की घोषणा	75–ग(दो) 75–ज	**21.06.2017**	**बुधवार**	प्रातः 9:00 बजे से

(राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(ओंकार सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर

D:\Vapash-bulana\Samay Anusuchi 2017.docx

पृ. क्रमांक–एफ–54–6/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2017/2646 रायपुर, दिनांक 26 मई 2017

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
4. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
7. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ ।
8. संभागायुक्त, **रायपुर** संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
9. आयुक्त, जनसम्पर्क रायपुर को।
10. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इन्द्रावती भवन नया रायपुर ।
11. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) **जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा** (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. पुलिस अधीक्षक, जिला–**बलौदाबाजार–भाटापारा** को सूचनार्थ।
13. संचालक, मुद्रण एवं लेखा सामग्री, इन्द्रावती भवन के सामने नया रायपुर (छ.ग.) को राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक–एफ–54–6/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2017/2645 ....**दिनांक** 26.5.2017 का छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।
14. छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के समस्त अधिकारी/शाखा प्रभारी ....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/5/17

सचिव,
छत्तीसगढराज्य निर्वाचन आयोग,
रायपुर

D:\Vapash-bulana\Samay Anusuchi 2017.docx